

इलाज के साथ बीमारी के बारे में भी किया गया जागरूक

अटल स्वास्थ्य मेला: नुककड़ नाटक से मेलार्थियों को किया जागरूक

10 फरवरी से शुरू होने वाले फाइलरिया अधियान के लिए सभी ने बनाई हूमन चेन

ओर की स्टॉल पर पहुँच कर उहोने फाइलरिया नेटवर्क के सदस्यों से भी बात की और फाइलरिया उम्मलन में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ध्यान से सुना और उनके द्वारा जन जागरूकता के लिए समय निकालने के प्रयासों को सराहा उहोने कहा। इस तरह के जन धार्मिकों के प्रयासों से बीमारी को नियंत्रण करने में मदद मिली।

यहाँ आए अपर निदेशक, मलेरिया, डॉ भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने भी नेटवर्क सदस्यों से बात कर उनके द्वारा फाइलरिया उम्मलन कार्यक्रम में उनके द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारी और ख्व देवभाल के तरीकों के बारीकी से जान और उहोने बताया कि फाइलरिया रोग के खिलाफ 10 फरवरी से चलने वाले सर्वजन द्वारा सेवा अधियान की विद्यार्थियों द्वारा शुरू हो गई है। इसी क्रम में



यहाँ आए अपर निदेशक, मलेरिया, डॉ भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने भी नेटवर्क सदस्यों से बात कर उनके द्वारा फाइलरिया उम्मलन कार्यक्रम में उनके द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारी और ख्व देवभाल के तरीकों के बारीकी से जान और उहोने बताया कि फाइलरिया रोग के खिलाफ 10 फरवरी से चलने वाले सर्वजन द्वारा सेवा अधियान की विद्यार्थियों द्वारा शुरू हो गई है। इसी क्रम में



यहाँ आए अपर निदेशक, मलेरिया, डॉ भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने भी नेटवर्क सदस्यों से बात कर उनके द्वारा निभाई जागरूकता के सहयोग से नुककड़ नाटक का मंचन भी हुआ। कलाकारों ने बहुत आकर्षक अंदाज में लोगों को न सिर्फ मच्छर

रखना, फाइलरिया की दबा जस्ते खाना का सदेस भी दिया। मेले में आप लोगों ने रुचिपूर्वक नाटक को देखा और अपने मोबाइल फोन से मच्छर से बचने के लिए इंतजाम करने के लिए कहाँ।

मेलार्थियों ने भी अपनी समस्याएँ नेटवर्क सदस्यों को बताई।

अटल स्वास्थ्य मेला में 18 नए फाइलरिया मरीजों की भी हृदयन हुई उहोने जांच के लिए फाइलरिया वलीनिक जी जानकारी दी गई। यहाँ एप सुरेंद्र दंबन में बताया कि मेरे पांसे में कई वाली से लगातार सूजन दीनी हुई है। मैंने कई निजी अस्पतालों में दिखाया लेकिन काई फायदा नहीं हुआ। इस मेले में पता चला कि मुझे फाइलरिया है।

कि मेरे घर में भी मच्छर बहुत लगते हैं। नुककड़ नाटक देखकर बहुत मजा आया। अब मैं भी अपने मम्मी-पापा से मच्छर से बचने के लिए इंतजाम करने के लिए कहाँ।

त्वरित न्याय के लिए हो फारस्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना



सज्जाद बाकर
सिटीजन वॉयस,
संवाददाता
लखनऊ

गोगमेडी की श्रद्धांजलि सभा में क्षत्रिय संगठनों ने की माँग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय समन्वय समिति द्वारा आज दिवंगत स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगमेडी जी के तेरहवीं की अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षत्रिय समितियों का आयोजन उत्तर प्रदेश पर क्षत्रिय समन्वय समिति द्वारा आयोजित स्वर्गीय सुखदेव के लिए गोगमेडी के परिजनों और शुभचित्रों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए फारस्ट ट्रैक कोर्ट की नियमिती सेवाएं दोनों दिशाओं में शुरू हो गई। इस अवसर पर शामिल लोगों में श्री महेन्द्र सिंह, श्री बाबा हरदेव सिंह, विरिल चंद्रकार सुरेश बाबूदु सिंह, राज्य मन्त्री प्राप्त कार्यक्रम के सचिव शिवशरण सिंह, श्रीमती जूही सिंह, अनिल सिंह, उपायकरण सिंह, कुशवाहा, पर्वत मंत्री राम सिंह रामापाल सिंह पवार, रामपूर्ण सिंह, विजय सिंह टिंटू, एक सिंह, डॉक्टर जेएस चौहान, दुर्गें सिंह दीपू, अरपी सिंह चौहान, श्याम सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, धनंजय सिंह राणा, अमित सिंह, अमरेश सिंह, करुणेश सिंह राठौड़, भानु प्रताप सिंह, सदीप सिंह, डॉ जितेंद्र सिंह, जेपी सिंह, अरुण सिंह चौहान, द्वार्का कर्तव्य कोर्ट की विद्यार्थी लोगों ने कहा कि श्री गोगमेडी के परिजनों को सुनावाई होकर हत्यारों को सजा दिलाई जा सकती है। उन्होंने जानकारी समिति के संयोजक प्रदीप सिंह बब्लू ने दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों ने मांग की, कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगमेडी के परिवार और शुभचित्रों को त्वरित न्याय की जागी और गोगमेडी के विद्यार्थी लोगों ने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों ने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों को अपनी अधिकारी अवसर पर अपनी कार्यक्रमों के लिए गोगमेडी के परिवार को श्रद्धांजलि करने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर शामिल लोगों में श्री महेन्द्र सिंह, श्री बाबा हरदेव सिंह, विरिल चंद्रकार सुरेश बाबूदु सिंह, राज्य मन्त्री प्राप्त कार्यक्रम के सचिव शिवशरण सिंह, श्रीमती जूही सिंह, अनिल सिंह, उपायकरण सिंह, कुशवाहा, पर्वत मंत्री राम सिंह रामापाल सिंह पवार, रामपूर्ण सिंह, विजय सिंह टिंटू, एक सिंह, डॉक्टर जेएस चौहान, दुर्गें सिंह दीपू, अरपी सिंह चौहान, श्याम सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, धनंजय सिंह राणा, अमित सिंह, अमरेश सिंह, करुणेश सिंह राठौड़, भानु प्रताप सिंह, सदीप सिंह, अरुण सिंह चौहान, द्वार्का कर्तव्य कोर्ट की विद्यार्थी लोगों ने कहा कि श्री गोगमेडी के परिजनों को सुनावाई होकर हत्यारों को सजा दिलाई जा सकती है। उन्होंने जानकारी समिति के संयोजक प्रदीप सिंह बब्लू ने दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों ने मांग की, कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगमेडी के परिवार और शुभचित्रों को त्वरित न्याय की जागी और गोगमेडी के विद्यार्थी लोगों ने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों ने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों को अपनी अधिकारी अवसर पर अपनी कार्यक्रमों के लिए गोगमेडी के परिवार को श्रद्धांजलि करने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर शामिल लोगों में श्री महेन्द्र सिंह, श्री बाबा हरदेव सिंह, विरिल चंद्रकार सुरेश बाबूदु सिंह, राज्य मन्त्री प्राप्त कार्यक्रम के सचिव शिवशरण सिंह, श्रीमती जूही सिंह, अनिल सिंह, उपायकरण सिंह, कुशवाहा, पर्वत मंत्री राम सिंह रामापाल सिंह पवार, रामपूर्ण सिंह, विजय सिंह टिंटू, एक सिंह, डॉक्टर जेएस चौहान, दुर्गें सिंह दीपू, अरपी सिंह चौहान, श्याम सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, धनंजय सिंह राणा, अमित सिंह, अमरेश सिंह, करुणेश सिंह राठौड़, भानु प्रताप सिंह, सदीप सिंह, अरुण सिंह चौहान, द्वार्का कर्तव्य कोर्ट की विद्यार्थी लोगों ने कहा कि श्री गोगमेडी के परिजनों को सुनावाई होकर हत्यारों को सजा दिलाई जा सकती है। उन्होंने जानकारी समिति के संयोजक प्रदीप सिंह बब्लू ने दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों ने मांग की, कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगमेडी के परिवार और शुभचित्रों को त्वरित न्याय की जागी और गोगमेडी के विद्यार्थी लोगों ने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों ने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों को अपनी अधिकारी अवसर पर अपनी कार्यक्रमों के लिए गोगमेडी के परिवार को श्रद्धांजलि करने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर शामिल लोगों में श्री महेन्द्र सिंह, श्री बाबा हरदेव सिंह, विरिल चंद्रकार सुरेश बाबूदु सिंह, राज्य मन्त्री प्राप्त कार्यक्रम के सचिव शिवशरण सिंह, श्रीमती जूही सिंह, अनिल सिंह, उपायकरण सिंह, कुशवाहा, पर्वत मंत्री राम सिंह रामापाल सिंह पवार, रामपूर्ण सिंह, विजय सिंह टिंटू, एक सिंह, डॉक्टर जेएस चौहान, दुर्गें सिंह दीपू, अरपी सिंह चौहान, श्याम सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, धनंजय सिंह राणा, अमित सिंह, अमरेश सिंह, करुणेश सिंह राठौड़, भानु प्रताप सिंह, सदीप सिंह, अरुण सिंह चौहान, द्वार्का कर्तव्य कोर्ट की विद्यार्थी लोगों ने कहा कि श्री गोगमेडी के परिजनों को सुनावाई होकर हत्यारों को सजा दिलाई जा सकती है। उन्होंने जानकारी समिति के संयोजक प्रदीप सिंह बब्लू ने दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों ने मांग की, कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगमेडी के परिवार और शुभचित्रों को त्वरित न्याय की जागी और गोगमेडी के विद्यार्थी लोगों ने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों ने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों को अपनी अधिकारी अवसर पर अपनी कार्यक्रमों के लिए गोगमेडी के परिवार को श्रद्धांजलि करने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर शामिल लोगों में श्री महेन्द्र सिंह, श्री बाबा हरदेव सिंह, विरिल चंद्रकार सुरेश बाबूदु सिंह, राज्य मन्त्री प्राप्त कार्यक्रम के सचिव शिवशरण सिंह, श्रीमती जूही सिंह, अनिल सिंह, उपायकरण सिंह, कुशवाहा, पर्वत मंत्री राम सिंह रामापाल सिंह पवार, रामपूर्ण सिंह, विजय सिंह टिंटू, एक सिंह, डॉक्टर जेएस चौहान, दुर्गें सिंह दीपू, अरपी सिंह चौहान, श्याम सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, धनंजय सिंह राणा, अमित सिंह, अमरेश सिंह, करुणेश सिंह राठौड़, भानु प्रताप सिंह, सदीप सिंह, अरुण सिंह चौहान, द्वार्का कर्तव्य कोर्ट की विद्यार्थी लोगों ने कहा कि श्री गोगमेडी के परिजनों को सुनावाई होकर हत्यारों को सजा दिलाई जा सकती है। उन्होंन



सम्पादकीय

बदला है भारतीय न्याय पालिका का नजारिया?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 370 का मकसद जम्मू-कश्मीर का शेष भारत के साथ एकीकरण था। तब यह प्रश्न उठाया कि अगर अनुच्छेद 370 का यह उद्देश्य था, तो क्या अनुच्छेद 371 का क्या मकसद है? इस अनुच्छेद की उपराधाराओं एवं लेकर जे तक के जरिए महाराष्ट्र एवं गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को कई प्रकार के विशेष अधिकार और संरक्षण मिले हुए हैं। आम समझ में अनुच्छेद 370 को इसी क्रम में देखा जाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अलग व्याख्या सामने रखी है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसला कई रूपों में असहज करने वाला है। उनमें पहला अनुच्छेद 370 के बारे में कोटी की कुछ टिप्पणियां हैं। मसलन, प्रधान न्यायाधीश डॉनाल्ड चंड्रडू की अध्यक्षता वाली सविधान पाठ ने कहा, अनुच्छेद 370 का मकसद जम्मू-कश्मीर का क्रमिक रूप से शेष भारत के साथ एकीकरण था। यह अनुच्छेद सिर्फ एक अस्थायी प्रवधान था (यानी इसे खत्म होना ही था)। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 (3) के तहत वह प्राप्त अधिकार था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे अनुच्छेद 370 का अस्तित्व खत्म करने की अधिकृता जारी रखते थे।

जम्मू-कश्मीर की सविधान सभा के भंग हो जाने के बावजूद अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति बर्नी रही। ये टिप्पणियां इसलिए, असहज करने वाली हैं, क्योंकि ऐतिहासिक संदर्भ की अम समझ यही है कि जम्मू-कश्मीर कुछ व्यापार शर्तों के साथ भारत में शामिल हुआ था। इन शर्तों के तहत उन्हें अपने कुछ अधिकार केंद्र को सौंप, जबकि आंतरिक स्वायत्ता संबंधी ज्यादातर अधिकार उसने अपने पास रखे। अनुच्छेद 370 के तहत वह प्राप्त अधिकार था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय सविधान में इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। इसके तहत भारतीय राज्य ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनकी स्वायत्ता की रक्षा का वचन दिया था। इस वचन की रक्षा भारतीय राज्य-व्यवस्था का ऐतिहासिक दायित्व था।

आम समझ के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को शामिल करने समय इसे अस्थायी प्रवधान रिपर्ट इस अर्थ में कहा गया था कि जब तक जम्मू-कश्मीर की सविधान सभा अपना सविधान नहीं बना लेती, वहाँ का प्रासाद और भारतीय संघ से उसका रिश्ता अनुच्छेद 370 के आधार पर निर्धारित होगा। लेकिन अब कोटी ने इसे इस रूप में अस्थायी बताया है कि इसका मकसद जम्मू-कश्मीर का एकीकरण था। स्पष्टतः कोटी ने इस पहलू को बिल्कुल अलग नजरिये से देखा है।

जब कोटी ने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपना लिया, तो उसका इस निकर्ष पर पहुंचना लाजिमी था कि जम्मू-कश्मीर की सविधान सभा की बिना सहमति की अी अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाला था।

मार यह वह विर्भाना यह है कि इसके लिए अपनाए गए माध्यम को युद्ध कोर्ट ने सम्प्रसार समान है। अनुच्छेद 370 को संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 376 में संधार किया गया। इसके लिए संवैधानिक आदेश 272 जारी किया गया। कोटी ने इस आदेश को असंवैधानिक बताया है। मालब सुप्रीम कोटी की यह राय है कि किसी दूसरे अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए किसी अन्य अनुच्छेद में बदलाव सविधान के अनुरूप नहीं है।

यानी सरकार को जिस अनुच्छेद में संधार करना हो, उसे प्रत्यक्ष रूप से उसके लिए ही कदम उठाने चाहिए। ऐसा बैकडोर से नहीं करना चाहिए।

मुझ यह है कि अगर वह आदेश असंवैधानिक था, तो उसके परिणामस्वरूप उत्तराधिकार की रक्षा का एकीकरण था। तब यह प्रश्न उठाया कि अगर अनुच्छेद 370 को यह उद्देश्य था, तो क्या अनुच्छेद 371 का क्या मकसद है? इस अनुच्छेद की उपराधाराओं एवं लेकर जे तक के जरिए महाराष्ट्र एवं गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को कई प्रकार के विशेष अधिकार और संरक्षण मिले हुए हैं। आम समझ में अनुच्छेद 370 को इसी क्रम में देखा जाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोटी ने इसकी अलग व्याख्या सामने रखी है।

बेशक, अनुच्छेद 370 के रहे हुए ही भी इसके जरिए जम्मू-कश्मीर के अनेक संरक्षित अधिकार एवं क्रमिक रूप से केंद्र से हासिल कर लाइ थे।

बल्कि अधिकार के विशेषज्ञों का मानना है कि जुरु रूप दरकों में आगे बढ़ी इस प्रक्रिया के कारण अनुच्छेद 370 के मूल स्वरूप में काफी हड्ड तक शर्कण हो चुका था। इस हकीकत के बावजूद सच यह है कि जम्मू-कश्मीर की खास राजनीतिक पहचान और वहाँ के बांशिंदे के मनोवैज्ञानिक संरक्षण के तौर पर इस अनुच्छेद की उपयोगिता बर्नी हुई थी।

वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारिक नजरिये से देखें, तो (इस पार्टी के पूर्व संस्करण भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही) यह अनुच्छेद हमेशा ही एक राजनीतिक मसला था, जिसे भारतीय राज्य अपनी शक्ति के साथ एकीकरण करते थे। तब यह प्रश्न उठाया कि अगर अनुच्छेद 370 को यह उद्देश्य था, तो क्या अनुच्छेद 371 का क्या मकसद है? इस अनुच्छेद की उपराधाराओं एवं लेकर जे तक के जरिए महाराष्ट्र एवं गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को कई प्रकार के विशेष अधिकार और संरक्षण मिले हुए हैं। आम समझ में अनुच्छेद 370 को इसी क्रम में देखा जाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोटी ने इसकी अलग व्याख्या सामने रखी है।

बेशक, अनुच्छेद 370 के रहे हुए ही भी इसके जरिए जम्मू-कश्मीर के अनेक संरक्षित अधिकार एवं क्रमिक रूप से केंद्र से हासिल कर लाइ थे।

बल्कि अधिकार के विशेषज्ञों का मानना है कि जुरु रूप दरकों में आगे बढ़ी इस प्रक्रिया के कारण अनुच्छेद 370 के मूल स्वरूप में काफी हड्ड तक शर्कण हो चुका था। इस हकीकत के बावजूद सच यह है कि जम्मू-कश्मीर की खास राजनीतिक पहचान और वहाँ के बांशिंदे के मनोवैज्ञानिक संरक्षण के तौर पर इस अनुच्छेद की उपयोगिता बर्नी हुई थी।

भारतीय जनता पार्टी के विचारिक नजरिये से देखें, तो (इस पार्टी के पूर्व संस्करण भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही) यह अनुच्छेद हमेशा ही एक राजनीतिक मसला था, जिसे भारतीय राज्य अपनी शक्ति के साथ एकीकरण करते थे। तब यह प्रश्न उठाया कि अगर अनुच्छेद 370 को यह उद्देश्य था, तो क्या अनुच्छेद 371 का क्या मकसद है? इस अनुच्छेद की उपराधाराओं एवं लेकर जे तक के जरिए महाराष्ट्र एवं गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को कई प्रकार के विशेष अधिकार और संरक्षण मिले हुए हैं। आम समझ में अनुच्छेद 370 को इसी क्रम में देखा जाता रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोटी ने इसकी अलग व्याख्या सामने रखी है।

बेशक, अनुच्छेद 370 के रहे हुए ही भी इसके जरिए जम्मू-कश्मीर के अनेक संरक्षित अधिकार एवं क्रमिक रूप से केंद्र से हासिल कर लाइ थे।

बल्कि अधिकार के विशेषज्ञों का मानना है कि जुरु रूप दरकों में आगे बढ़ी इस प्रक्रिया के कारण अनुच्छेद 370 के मूल स्वरूप में काफी हड्ड तक शर्कण हो चुका था। इस हकीकत के बावजूद सच यह है कि जम्मू-कश्मीर की खास राजनीतिक पहचान और वहाँ के बांशिंदे के मनोवैज्ञानिक संरक्षण के तौर पर इस अनुच्छेद की उपयोगिता बर्नी हुई थी।

बेशक, अनुच्छेद 370 के रहे हुए ही भी इसके जरिए जम्मू-कश्मीर के अनेक संरक्षित अधिकार एवं क्रमिक रूप से केंद्र से हासिल कर लाइ थे।

बल्कि अधिकार के विशेषज्ञों का मानना है कि जुरु रूप दरकों में आगे बढ़ी इस प्रक्रिया के कारण अनुच्छेद 370 के मूल स्वरूप में काफी हड्ड तक शर्कण हो चुका था। इस हकीकत के बावजूद सच यह है कि जम्मू-कश्मीर की खास राजनीतिक पहचान और वहाँ के बांशिंदे के मनोवैज्ञानिक संरक्षण के तौर पर इस अनुच्छेद की उपयोगिता बर्नी हुई थी।


बेशक, अनुच्छेद 370 के रहे हुए ही भी इसके जरिए जम्मू-कश्मीर के अनेक संरक्षित अधिकार एवं क्रमिक रूप से केंद्र से हासिल कर लाइ थे।

बल्कि अधिकार के विशेषज्ञों का मानना है कि जुरु रूप दरकों में आगे बढ़ी इस प्रक्रिया के कारण अनुच्छेद 370 के मूल स्वरूप में काफी हड्ड तक शर्कण हो चुका था। इस हकीकत के बावजूद सच यह है कि जम्मू-कश्मीर की खास राजनीतिक पहचान और वहाँ के बांशिंदे के मनोवैज्ञानिक संरक्षण के तौर पर इस अनुच्छेद की उपयोगिता बर्नी हुई थी।

बेशक, अनुच्छेद 370 के रहे हुए ही भी इसके जरिए जम्मू-कश्मीर के अनेक संरक्षित अधिकार एवं क्रमिक रूप से केंद्र से हासिल कर लाइ थे।

बल्कि अधिकार के विशेषज्ञों का मानना है कि जुरु रूप दरकों में आगे बढ़ी इस प्रक्रिया के कारण अनुच्छेद 370 के मूल स्वरूप में काफी हड्ड तक शर्कण हो चुका था। इस हकीकत के बावजूद सच यह है कि जम्मू-कश्मीर की खास राजनीतिक पहचान और वहाँ के बांशिंदे के मनोवैज्ञानिक संरक्षण के तौर पर इस अनुच्छेद की उपयोगिता बर्नी हुई थी।

बेशक, अनुच्छेद 370 के रहे हुए ही भी इसके जरिए जम्मू-कश्मीर के अनेक संरक्षित अधिकार एवं



आईपीएल मिनी ऑक्शन आज

क्या टूटेगा 20 करोड़ का बैरियर, 10 टीमों के पास 262 करोड़ का फंड

दिल्ली, एजेंसी

इंडियन प्रीमियर लीग अगले साल 23 मार्च को शुरू होगा। इसके लिए 10 टीमें 19 दिसंबर को खिलाड़ियों की खरीदी करेंगी। IPL ऑक्शन मंगलवार यानी 19 दिसंबर को दुबई में दोपहर 1:00 बजे शुरू होगा। इस बार 333 लाखरुपयोगी पर बोली लगायी। हालांकि, इनमें से अधिकतम 77 खिलाड़ी ही खरीदे जा सकतीं। इनमें 30 स्लॉट विदेशी लेवर्यर्स के लिए हैं। इस बार के ऑक्शन में 10 टीमों के पास 262.95 करोड़ रुपए के बचे हुए हैं।

इनमें गुजरात, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई 30 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर ऑक्शन में उत्तरोंगी। अपार है कि इन्हीं में से किसी एक टीम में IPL इतिहास का सबसे महाग लेवर्यर भी शामिल हो सकता है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए के पार जा सकती है।

मिशन स्टार्क: नई और पुरानी दोनों गेंद से खेलनाक, बैटिंग भी कर लेते हैं

ऑस्ट्रेलिया के लेपट आर्म पेसर मिशन स्टार्क 8 साल बाद IPL में खेल सकते हैं। वह अखिरी बार 2015 में RCB का हिस्सा था। नई और पुरानी दोनों गेंद से गेंदबाजी करने में महिन ट्यूर्क के पास सीधे और स्विंग भी है। स्टार्क लेओर ऑर्डर में अर्डेंग शॉट्स लागतों के साथ ठीक-ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं।

वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 16 विकेट लेने वाले स्टार्क के नाम 58 टी-20 में 73 विकेट हैं। तीनों फॉर्मेंट मिलाकर उन्होंने कुल 647 विकेट लिए हैं। IPL के 2 सीज़न में उन्होंने 27 मैच खेले और 34 विकेट अपने नाम किए। 2018 में चयनक ने स्टार्क को 9.40 करोड़ में खरीदा लेकर हुंजरी के कारण खेल नहीं सके थे। स्टार्क का नाम तेज गेंदबाजों के सेट-4 में है। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। राजस्थान और हैदराबाद को छोड़कर सभी टीमें उनके लिए बिड़िंग की है।

हैरी ब्रूक

अटैकिंग बैटर, हर छठी बॉल पर लगाते हैं बाउंड्री

इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर बैटर हैरी ब्रूक टी-20 इंटरनेशनल में हर छठी बॉल पर बाउंड्री जगाते हैं। वह 25 टी-20 मुकाबलों में 141.02 के स्टाइक रेट से 495 रन बना चुके हैं। हैरी ब्रूक टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं। वह इंटरनेशनल लेल रपर और वनडे फॉर्मेंट में भी अटैकिंग बैटिंग से सभी को प्रभावित कर चुके हैं। पिछले IPL में ब्रूक को SRH ने 13.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन हैदराबाद की मुश्किल पिंप के कारण 11 IPL मैचों में वह 190 रन ही बना सके। उन्होंने एक सेवुरी लगाई, जो कोलकाता से खेल चुके हैं। भारत के पेस बॉलिंग ऑर्लाउंडर की सभी टीमों को जरूरत रहती है।

रचिन रवींद्र

वनडे वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी जमाई, लेपट आर्म स्पिनर भी न्यूजीलैंड के लेपट हैंड बैटिंग ऑलराउंडर रचिन रवींद्र ने वनडे वर्ल्ड कप में प्रभावित किया। उन्होंने 3 शतक के दम पर 578 रन बनाए।

24 साल के रचिन ने भारत में 64.22 की ओसिट से स्पिन रेस दोनों के खिलाफ खुब रन बनाए। टॉप ऑर्डर में बैटिंग के साथ रचिन लेपट आर्म स्पिन भी फैक्ट लेते हैं। रचिन ने न्यूजीलैंड के लिए 18 टी-20 इंटरनेशनल में करीब 118 के स्टाइक रेट से रन बनाए हैं। वह पहली बार IPL ऑक्शन में उतरे। टी-20 करियर के 53 मैचों में उन्होंने करीब 123 के स्टाइक रेट से रन बनाए हैं। रचिन का नाम ऑक्शन के सेट-2 में है। किंतु ऑलराउंडर ने अपनी बेस प्राइस महज 50 लाख रुपए रखी है। IPL में सभी टीमों को ऑलराउंडर की जरूरत है। गुजरात, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पंजाब और दिल्ली के पास 29 करोड़ से ज्यादा रुपए का फंड है। इन्हीं में से कोई टीम रचिन की खरीद सकती है।



ट्रैविस हेड

वनडे वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरी जमाई, लेपट आर्म स्पिनर भी

एसेसिव बैटर, अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड ने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल में 137 रन बनाकर भारत से ट्रॉफी



छीनी। उन्होंने टूर्नामेंट के 6 ही मैचों में 2 सेवुरी लगाकर 329 रन बना दिए। उनका ट्रॉफी रेट भी 127 से ज्यादा का रहा। लेपट हैंड बैटिंग के साथ हेड राइट आर्म ऑफ स्पिन भी फैक्ट लेते हैं। 23 टी-20 में उन्होंने 146 के स्टाइक रेट से 554 रन बनाए हैं। 10 IPL मैचों में उनके नाम 138.51 के स्टाइक रेट से 205 रन हैं, वह आखिरी बार 2017 में RCB का हिस्सा थे। हेड का नाम ऑक्शन के सेट-1 में है। उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। IPL में SRH, KKR, GT और DC को टॉप ऑर्डर बैटर की जरूरत है। वारों ही टीमों के पास 28 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्स है, ऐसे में हेड की कीमत भी 10 से 15 करोड़ तक जा सकती है।

वनिंदू हसरंगा

वर्ल्डवलास लेग स्पिनर, बड़े शॉट लगाने में माहिर



पैट कमिंस

वर्ल्ड कप विनिंग काशन, तेज गेंदबाज और अटैकिंग बैटर

ऑस्ट्रेलिया को अपनी काशनी में वनडे और टी-20 में वर्ल्ड कप का लेग स्पिन के दम पर किंसी भी इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बन सकता है। लेकिन वह लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं। श्रीलंका के लिए 58 ही टी-20 में उनके नाम 9 विकेट और 533 रन हैं। IPL में RCB ने उन्हें 10.75 करोड़ रुपए से खरीदा था। पिछले सीज़न वह इंजीरी के कारण खाली पैट कमिंस भी ऑक्शन में रहे। 20 रीकिंग के नंबर-3 बॉलर हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 IPL मैचों में उनके नाम 35 विकेट हैं। हसरंगा का नाम ऑक्शन के सेट-2 में आएगा, उनकी बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपए है। वह RCB के लिए 3 सीज़न खेल चुके हैं, पिछले बार उनके लिए पंजाब और हैदराबाद ने भी खिड़ियों वाले किंसी थे। 2020 में कमिंस 15.50 करोड़ में बिंके थे, इसलिए वह इस बार भी महंगे बिंके सकते हैं। अब तक खेले कुल 26 IPL मैचों में उनके नाम 35 विकेट हैं। हसरंगा का नाम ऑक्शन के सेट-2 में आएगा, उनकी बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपए है। वह RCB के लिए 3 सीज़न खेल चुके हैं, पिछले बार उनके लिए पंजाब और हैदराबाद ने भी खिड़ियों वाले किंसी थे। इस बार KKR और CSK भी उनके लिए बड़ी बोली लगा सकती है।

मैडम तुसाद में लगे रणवीर सिंह के दो वैक्स स्टैच्यू

बोले- जहां कभी पैरेंट्स फोटोज खिंचवाते थे, अब उसी म्यूजियम में मेरा स्टैच्यू है

दिल्ली, एजेंसी

बालीबुद एक्टर रणवीर सिंह ने मैडम तुसाद म्यूजियम में अपने वैक्स स्टैच्यू लॉन्च किए। इस म्यूजियम में एक बालीबुद के एक बालीबुद को बैक्स स्टैच्यू लगाए गए हैं। सोमवार को एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस इंवेंट की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर को खाली पैरोंट्स के लिए खुशी देते हुए दिखायी दी। इस प्रयोग के बाद रणवीर ने दिए इनपुट्स रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर ने इन स्टैच्यू की प्रोसेसिंग में रणवीर ने दिए इनपुट्स भी दिए हैं। यह मौजूद उनके दो स्टैच्यू में से एक लंदन और एक सिंगापुर में शोकेस किया जाएगा।

फोटोज शेयर करते हुए रणवीर ने लिखा, 'जब मैं बड़ा हो रहा था तब अपने पैरेंट्स की वर्ल्ड के फैक्स मपर्सनलिटीज के साथ फोटोज देखकर मैं से एक दिन मुझे एहसास हुआ कि वे मैडम तुसाद के बालीबुद को बैक्स स्टैच्यू देंगे। इस बालीबुद को बैक्स स्टैच्यू देने की खाली पैरोंट्स की तरफ से खुशी देते हुए दिखायी दी। यह बालीबुद अपना बालीबुद बना रहा है।'

रणवीर ने आगे लिखा- 'दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्सनलिटीज में से एक के बीच अपना स्टैच्यू देखकर मैं

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक नजर मेंहदी ने एजेंट इन्टरप्राइज़, 165/162 कल्लन की लाट, गुलमर्ग होटल के पीछे, हाता फकीर मोहम्मद खान, अमीनाबाद, लखनऊ, 226018 से मुद्रित कराकर 165/162 कल्लन की लाट, गुलमर्ग होटल के पीछे, हाता फकीर मोहम्मद खान, अमीनाबाद, लखनऊ 226018 से प्रकाशित किया।

फोन: 0522-4072246, 7652036622, 9453849516

E-mail: citizenvoicelko@gmail.com

सम्पादक: नजर मेंहदी

RNI NO - UPHIN/2009/28809

website : www.citizenvoice.in

लेपट वर्ल्ड का भी हिस्सा

रुद्र चुके हैं। उन्होंने साल 2002 में ग्लैडियर्स मैनहैट के लिए लेपट वर्ल्ड का भी हिस्सा

लिया था और जीत ली।

महींदर पहले ही दोनों ने भी अपने

हालांकि दो